

द्वारा ई-मेल/द्वारा फैक्स/अतिमहत्वपूर्ण/समयवद्ध

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद—।

संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता)-2014 दिनांक:दिसम्बर/7-2015

सेवा में,

- 1—समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश। (पीएसी को छोड़कर)
- 2—समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 3—समस्त कार्यालयाध्यक्ष, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश (पीएसी को छोड़कर)
- 4—सचिव, उम्रप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।

विषय: उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन एवं पदोन्नति की कायवाही के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:पॉच-470(वरिष्ठता)2014 दिनांक: 26-11-2015 का अचलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण बैच- 1997-98 तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची परिचालित करते हुये सम्बन्धित उपनिरीक्षकों से दिनांक:05-12-2015 तक प्रत्यावेदन/ आपत्तियों मौगी गयी थी। साथ ही सम्बन्धित उपनिरीक्षकों को सूचित करने तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/आपत्तियों को उपलब्ध कराने एवं डाटा में त्रुटि होने तथा किसी उपनिरीक्षक का नाम छूटे होने की दशा में दिनांक:06-12-2015 तक उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2— उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपदों/इकाईयों से प्राप्त सूचनाओं का समावेश एवं जिन उपनिरीक्षकों द्वारा आपत्तियों/प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये थे, उनका निराकरण/निस्तारण कर दिया गया है। तदोपरान्त उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी की जा रही है, जो निम्नलिखित रीति से तैयार की गयी है:-

- 1— पीटीसी प्रशिक्षण सत्र-1997-98 में प्रशिक्षण प्राप्त सीधी भर्ती (मृतक आश्रित को समिलित करते हुये) एवं विभागीय रैंकर परीक्षा के माध्यम से चयनित अन्यर्थी की वरिष्ठता उत्तर प्रदेश उप-निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2015 में स्थापित व्यवस्था के अनुसार पीटीसी में अर्जित अंकों के प्रतिशत के आधार पर घकानुक्रम में (प्रथम स्थान पदान्वत व्यक्ति का होगा) रखा गया है।
- 2— पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुये अन्यर्थीयों को उसी बैच में सबसे नीचे रखा गया है, भले ही उनके अंकों का प्रतिशत अधिक हो।
- 3— किसी भी सीधी भर्ती बैच के प्रतीक्षा सूची के चयनित अन्यर्थीयों की वरिष्ठता उस बैच के नियमित चयनित अन्यर्थीयों के साथ पीटीसी के अंक के प्रतिशत के आधार पर तैयार की गयी है।
- 4— एक ही बैच के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण पाये अन्यर्थीयों के प्रशिक्षण के पूर्णांक समान न होने पर उनके पूर्णांक एवं प्राप्तांक का प्रतिशत निकालकर पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।
- 5— एक से अधिक अन्यर्थीयों के अंक समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता का आधार बनाया गया है।

6— उपनिरीक्षक नां०पु० के पद पर आउट आफ टर्न पदोन्नति प्राप्त कर्मियों को शासनादेश संख्या—1693/६—पु—१—१५—९०(४)/२०१४ दिनांक २३—०७—२०१५ में स्थापित व्यवस्था के अनुसार इनकी वरिष्ठता का निर्धारण आउट आफ टर्न पदोन्नति की तिथि से किया गया है।

7— वैकल्पिक (OPTIONAL) विषयों के अंकों को ज्येष्ठता निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

8— रिट याचिका संख्या—८७८३/२००२ उमेश चन्द्र पाण्डेय बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक—१८.०३.२००५ तथा स्पेशल अपील संख्या—६३८/०५ उ०प्र० राज्य व अन्य बनाम उमेश चन्द्र पाण्डेय में पारित निर्णय दिनांक—२८.१०.२०१० में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अनुशारण करते हुये उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस प्रशिक्षण सत्र—२०००—०१ के कैडेटों के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है, उहाँ उपनिरीक्षक नां०पु० सीधी भर्ती परीक्षा—१९९१ के नियमित अभ्यार्थियों (प्रशिक्षण सत्र—१९९७—९८) के साथ प्रशिक्षण सत्र—२०००—०१ में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर प्रशिक्षण सत्र—१९९७—९८ की सूची में सम्मिलित किया गया है।

9— अन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल— १४१८ उपनिरीक्षकों के नाम सम्मिलित हैं।

3— उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की गयी है। अन्तिम वरिष्ठता सूची सर्वसम्बन्धित को E-Mail से भेजी जा रही है। अन्तिम वरिष्ठता सूची में कुल—१४१८ उपनिरीक्षक नां०पु० के नाम अंकित हैं। कृपया उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रशिक्षण वैच १९९७—९८ तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना की संयुक्त अन्तिम वरिष्ठता सूची को अग्रेतर कार्यवाही हेतु डाउन लोड कर लिया जाये।

4— अवगत कराना है कि निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती/चयन के वर्ष—२०१४ के ४१० रिक्त पदों के सापेक्ष “उत्तर प्रदेश उप—निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली—२०१५” के नियम—५(२) के अनुसार “अनुपयुक्त को अस्थीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर” बोर्ड द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही की जानी है। भर्ती/चयन के वर्ष—२०१४ की रिक्तियों के दृष्टिगत अन्तिम वरिष्ठता सूची के अनुसार मुख्य कमांक—८०० तक के उपनिरीक्षकों के सेवा अभिलेख/बोर्ड प्रपत्र—१ में सूचनायें उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजे जाने का निर्णय लिया गया है।

5— अतः अनुरोध है कि कृपया अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य कमांक—८०० तक के उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना के सेवा अभिलेख तत्काल अद्यावधिक कराकर निम्न प्रकार अग्रेतर कार्यवाही की जाये—

(1)— विगत में जनपद/इकाईयों से प्राप्त चरित्र पंजिकाओं एवं बोर्ड प्रपत्र—१ में अंकित सूचनाओं के परिशीलन से अधिकान्श कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं में वार्षिक गोपनीय मन्तव्य पूर्ण नहीं पाये गये व ०२ या उससे अधिक वर्षों के वार्षिक मन्तव्य या तो एक साथ अंकित कर दिये गये हैं अथवा किसी एक वर्ष की प्रविष्टि के ऊपर अन्य हस्तालिपि/ओवर राईटिंग करके पूर्व अथवा पश्चात् के वर्ष अंकित/परिवर्तित कर दिये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त बोर्ड प्रपत्र में कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध

पंजीकृत अभियोगों में आरोप—पत्र मा० न्यायालय में प्रस्तुत करने एवं उसकी अद्यतन रिधि अंकित न होने के कारण समिति द्वारा सुसंगत निर्णय लिया जाना सम्भव न होने के कारण प्रकरण अविचारित/स्थगित रखने पड़ते हैं। कृपया इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि उक्त बिन्दु को दृष्टिगत रखते हुये पूर्ण एवं अद्यावधिक चरित्र पंजिकायें/विवरण उपलब्ध कराया जाये।

- (2)– वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु पात्रता क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों की चरित्र पंजिकाओं तक वार्षिक मंतव्य, सत्यनिष्ठा पूर्ण कराने, दण्ड, अपील एवं रिवीजन, अभियोग आदि की अद्यावधिक प्रविष्टियाँ/सूचना अंकित करने के सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के परिपत्र संख्या:डीजी-परिपत्र-४९/२०१३ दिनांक २९-०८-२०१३ द्वारा समुचित मार्ग-दर्शन निर्गत किया गया है। (परिपत्र दिनांक २९-०८-२०१३ की प्रति संलग्न है।)
- (3)– भर्ती/चयन वर्ष-२०१४ की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति हेतु पात्रता सूची में अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य कर्मांक-८०० तक के उपनिरीक्षकों का विवरण बोर्ड प्रपत्र-१ में वर्ष-२००४ से २०१३ तक के सेवा अभिलेखों की प्रविष्टियों को अंकित किया जायेगा तथा सेवा अवधि की गणना हेतु कट-आफ-डेट ०१-०७-२०१४ होगी। बोर्ड प्रपत्र-१ को भरने हेतु दिशा-निर्देश बोर्ड की वेबसाइट www.uppbpb.gov.in के होम पेज पर उपलब्ध लिंक “प्रोन्नति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियाँ” पर लिंक करने पर “प्रोन्नति के लिये अह अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के प्रारूप” के अन्तर्गत उपलब्ध हैं और वहाँ से डाउन लोड किये जा सकते हैं। (बोर्ड प्रपत्र-१ एवं भरने हेतु दिशा-निर्देश की प्रति संलग्न है।)
- (4)– बोर्ड प्रपत्र-१ में सूचनायें ए-३ साइज के पेपर (२९.७X४२.० CM) पर तैयार किया जायेगा। यदि किसी जनपद/इकाई द्वारा अन्य साइज के पेपर में बोर्ड प्रपत्र-१ में सूचनायें पुलिस मुख्यालय में लायी जाती हैं तो वह किसी भी दशा में स्थीकार नहीं होगी।
- (5)– उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-१ में सूचनायें सम्बन्धित जनपद/इकाईयों द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक/सम्बन्धित इकाई के पुलिस उपमहानिरीक्षक के हरताक्षरोपरान्त उपलब्ध कराये जायेंगे।
- (6)– कतिपय उपनिरीक्षकों के विरुद्ध अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन अथवा नियम-१४(१) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित रहती है, किन्तु उसका उल्लेख सेवा अभिलेख में न होने अथवा जॉच एजेन्सी द्वारा “ओवर लुक” हो जाने के कारण उनके सम्बन्ध में सही तथ्य चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाते। अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य कर्मांक-८०० तक के उपनिरीक्षकों से रवधोषित घोषणा-पत्र इस आशय का ले लिया जाय कि उनके विरुद्ध कोई आपराधिक अभियोग मा० न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उ०प्र० अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-१९९१ के नियम-१४(१) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही लम्बित है। यदि आपराधिक

अभियोग / विभागीय कार्यवाही लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण स्वघोषणा-पत्र में अंकित करा लिया जाय। (स्वघोषणा-पत्र का प्रारूप संलग्न है।)

- (7)- यदि स्वघोषणा-पत्र में सम्बन्धित उपनिरीक्षक द्वारा कोई अभियोग / विभागीय कार्यवाही लम्बित दर्शायी जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति सम्बन्धित जनपद / ज़ॉच एजेन्सी से प्राप्त कर उसका भी उल्लेख बोर्ड प्रपत्र-1 के निर्धारित कालम में किया जायेगा। साथ ही सभी उपनिरीक्षकों के स्वघोषित घोषणा-पत्र भी बोर्ड प्रपत्र-1 के साथ संलग्नकर उपलब्ध कराये जायेगा।
- (8)- सम्बन्धित उपनिरीक्षकों की चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) व स्वघोषित घोषणा-पत्र दोनों 03-03 प्रतियों में एवं उसकी साफ्ट प्रति की सी0डी0 लेकर सम्बन्धित सहायक पुलिस मुख्यालय के अनुभाग-5 में निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार उपरिथित होकर चरित्रपंजिकाओं / सूचनाओं का मिलान कराकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे:-

क्र०सं०	जोन / इकाई का नाम	दिनांक
1	गोरखपुर जोन, लखनऊ जोन, बरेली जोन एवं वाराणसी जोन के सभी जनपद	18.12.2015
2	मेरठ जोन, कानपुर जोन आगरा जोन एवं इलाहाबाद जोन के सभी जनपद	19.12.2015
3	अभिसूचना विभाग / सुरक्षा शाखा / जीआरपी के सभी अनुभाग एवं अन्य सभी शेष इकाईयों	20.12.2015

6- अतः अनुरोध है कि कृपया निर्धारित समयसीमा के अन्दर उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।


 (भगवान स्वरूप)
 पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
 उत्तर प्रदेश।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने परिक्षेत्र के जनपदों से उपरोक्तानुसार अन्तिम वरिष्ठता सूची के मुख्य क्रमांक-800 तक के उपनिरीक्षकों की अद्यावधिक चरित्रपंजिकायें एवं बोर्ड प्रपत्र-1 में सूचनायें (ए-3 साइज पेपर पर) प्राप्त कर परीक्षण / हस्ताक्षरोपरान्त जनपद के सम्बन्धित सहायक के माध्यम से निर्धारित समय सारणी के अनुसार पुलिस मुख्यालय को भिजवाने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक उ० प्र० ८००० लखनऊ।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० ८००० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने स्तर से सर्वसम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।

१८८२।।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन०आई०ए०, १/१३१ विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
 - 2— निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
 - 3— आयुक्त व्यापार कर विभाग उ०प्र० लखनऊ।
 - 4— पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ०प्र० लखनऊ।
 - 5— पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
 - 6— पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
 - 7— संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।
 - 8— सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।
 - 9— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
 - 10— संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
 - 11— मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर-६, गौतमबुद्धनगर।
- — —

१
३०८५४

निरीक्षक नागरिक पुस्तक

क्रमांक		ज्येष्ठा सूची का क्रमांक		पीएनओ	
कर्म का नाम					
पिता का नाम					
जन्मतिथि					
वर्तमान वैतानी					
जनपद / इकाई					
परिक्षेत्र / अनुभाग					
भर्ती की तिथि					
उप निरीक्षक नाम्पुरो के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि					
वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष
माह	माह	माह	माह	माह	माह
दिन	दिन	दिन	दिन	दिन	दिन
वार्षिक गोपनीय मंत्रव्य की श्रृंगी					
प्रतिकूल प्रविष्टि संस्थित करने का दिनांक					
प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन / आपील प्रेषित करने का दिनांक					
वर्तमान स्थिति (लम्बित / अल्लीकृत / स्वीकृत)					
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21			

चरित्र प्रौज्ञका लिपिक के हस्ताक्षर

नाम, पद, मुहर

प्रधान लिपिक के हस्ताक्षर

नाम, पद, मुहर

१७ के पद पर अनुप्रयोग को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठा के आधार पर घोषित हेतु चयन के लिये पात्रा सूची में सम्मानित अनुप्रयोग का सेवा विवरण

मर्ती / रिक्ति का वर्ष- 2014

(मर्ती / रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)

दीर्घ दण्ड- नियम- 14(1)

लघु दण्ड- नियम- 14(2)

(मर्ती / रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)

सर्वानेष्टा		मर्ती / रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये	
राज्य	सर्वानेष्टा	दीर्घ दण्ड- नियम- 14(1)	लघु दण्ड- नियम- 14(2)
अप्रमाणित राज्य (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	अप्रमाणित सत्याग्रह/प्रत्यावेदन/विवाह/दिवाली/दिवाना	मर्ती / रिक्ति के वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)	(मर्ती / रिक्ति के वर्ष से पूर्ववर्ती 10 वर्षों के लिये)
दण्डादेश की संलग्नता	दण्डादेश का विनांक	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का विनांक	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का विनांक
घटना का वर्णन	दण्डादेश की संलग्नता	दण्डादेश का विनांक	दण्डादेश का विनांक
दण्ड वा प्रश्ना/प्रदर्शन/करना/रोका रोका/हटाना/वेतनापात्र वापसीता	तर्मान रिश्तों (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	दण्डादेश का विनांक	दण्डादेश का विनांक
लोकाधिकारी कानूनिक विवरण	दण्डादेश का विनांक	घटना का वर्णन	घटना का वर्णन
नाम, पद, मुहर	प्रतिष्ठित/अनंदाङ्ग आदि	प्रतिष्ठित/अनंदाङ्ग आदि	प्रतिष्ठित/अस्वीकृत/स्वीकृत
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/पुलिस अधिकारी	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का विनांक	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
नाम, पद, मुहर	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)	वर्तमान स्थिति (लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत)
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/पुलिस अधिकारी	दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का विनांक	दण्डादेश का विनांक	दण्डादेश का विनांक
नाम, पद, मुहर	प्रतिष्ठित/अनंदाङ्ग आदि	प्रतिष्ठित/अनंदाङ्ग आदि	प्रतिष्ठित/अस्वीकृत/स्वीकृत

लोकाधिकारी कानूनिक विवरण

नाम, पद, मुहर

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/पुलिस अधिकारी

नाम, पद, मुहर

बोर्ड प्रपत्र-1 भरने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

महत्वपूर्ण :- "बोर्ड प्रपत्र-1" को सावधानीपूर्वक सेवा अभिलेखों के आधार पर भरा जाय।

प्रपत्र का कालम	भरने के सम्बन्ध में निर्देश
1	इस कालम में क्र0स0 अंकित की जायेगी। क्र0स0 आरोही क्रम में अंकित की जायेगी।
2	इस कालम में अभ्यर्थी से सम्बन्धित ज्येष्ठता सूची का क्रमानक अंकित किया जायेगा।
3	इस कालम में अभ्यर्थी का पी0एन0ओ0 अंकित किया जायेगा।
4	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार नाम अंकित किया जायेगा।
5	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार पिता का नाम अंकित किया जायेगा।
6	इस कालम में अभ्यर्थी के सेवा अभिलेखों के अनुसार जन्मतिथि अंकित की जायेगी।
7	इस कालम में कैडर अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः उपनिरीक्षक नामिक पुलिस
8	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई का नाम अंकित किया जायेगा।
9	इस कालम में अभ्यर्थी की नियुक्ति के जनपद/इकाई से सम्बन्धित परिषेत्र/अनुभाग का नाम अंकित किया जायेगा।
10	इस कालम में अभ्यर्थी की भर्ती का दिनांक अंकित किया जायेगा।
11	इस कालम में अभ्यर्थी की उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि अंकित की जायेगी। मौलिक नियुक्ति की तिथि- का आशय अभ्यर्थी के उपनिरीक्षक ना0पु0 के पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी अथवा यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी नियुक्ति की तिथि से है।
12	सेवा अवधि- का आगणन करने हेतु भर्ती वर्ष की प्रथम जुलाई को अभ्यर्थी की मौलिक नियुक्ति की तिथि घटाने पर उस भर्ती वर्ष के लिये कुल सेवा अवधि निकाली जायेगी।
13	
14	
15	इन कालमों में क्रमशः भर्ती/रिक्ति का वर्ष, इसके पूर्ववर्ती 10 वर्षों के वार्षिक गोपनीय मंतव्यों की अवधि एवं वार्षिक गोपनीय मंतव्य की श्रेणी अंकित की जायेगी।
16	
17	उदाहरणार्थः यदि किसी अभ्यर्थी का वर्ष 2001 का वार्षिक गोपनीय मंतव्य अलग-अलग अवधि के लिए दो अधिकारियों द्वारा अंकित किया गया है तो उसका विवरण निम्नवत अंकित किया जायेगा:-
18	2001- 01-01-2001 से 30-04-2001 अति उत्तम 01-05-2001 से 31-12-2001 अच्छा
19	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी का किसी वर्ष का वार्षिक गोपनीय मंतव्य प्रतिकूल अंकित किया गया हो तो उसे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
20	इस कालम में अभ्यर्थी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जाय।
21	इस कालम में अभ्यर्थी के प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत स्वीकृत

22	इस कालम में भर्ती वर्ष के पूर्ववर्ती 10 वर्षों की सत्यनिष्ठा को निर्मांकित श्रेणी अंकित की जायेगी।- प्रमाणित, अप्रमाणित अथवा रोकी गई
23	इस कालम में यदि किसी अभ्यर्थी की सत्यनिष्ठा अप्रमाणित अथवा रोकी गई है तो उससे अभ्यर्थी को संसूचित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
24	इस कालम में अभ्यर्थी द्वारा अप्रमाणित अथवा रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील देने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
25	इस कालम में अभ्यर्थी के अप्रमाणित या रोकी गई सत्यनिष्ठा के विरुद्ध लम्बित प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित/अस्वीकृत/स्वीकृत
26	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
27	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
28	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
29	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- पदच्युत करना / सेवा से हटाना आदि।
30	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
31	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
32	इसमें दण्डादेश की संख्या अंकित की जायेगी।
33	इसमें दण्डादेश का दिनांक अंकित किया जायेगा।
34	इसमें घटना का वर्ष अंकित किया जायेगा।
35	इसमें दण्ड की प्रकृति अंकित की जायेगी। जैसे- अर्धदण्ड, परिनिष्चा प्रविष्टि आदि।
36	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील प्रेषित करने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
37	इसमें दण्डादेश के विरुद्ध प्रत्यावेदन/अपील की वर्तमान स्थिति अंकित की जायेगी। जैसे- लम्बित /अस्वीकृत /स्वीकृत
38	इसमें निलम्बन का आदेश संख्या व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः न-39/2012 दिनांक 30-10-2013
39	इसमें निलम्बन के आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के सम्बन्ध में।
40	इसमें अपराध संलग्न/धारा/आना/जनपद अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः 234/96, धारा 323/324 आदि, आना-गाजीपुर, लखनऊ
41	इसमें आरोप पत्र मात्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
42	इसमें यदि न्यायालय का कोई निर्णय हो तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण व दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः वाद मात्र न्यायालय एडीजे-5, लखनऊ के यहां एस0टी0 न0-399/98 पर विचाराधीन है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 31-10-2013 नियत है।
43	इसमें जॉब संगठन का नाम अंकित किया जायेगा। जैसे- विभागीय, सी0वी0सी0आई0डी0 आदि।
44	इसमें आरोप का संक्षिप्त विवरण अधिकतम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः अवकाश से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में।

45	इसमें अभ्यर्थी को आरोप पत्र प्राप्त कराने का दिनांक अंकित किया जायेगा।
46	इसमें अभ्यर्थी के चयन, प्रोन्नति या सेवा के सम्बन्ध में माठ न्यायालय या राज्य लोक सेवा अधिकारण के आदेश का संक्षिप्त विवरण अधिकाराम 20 शब्दों में अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः निलम्बन आदेश दिनांक 30-10-2013 अग्रिम आदेशों तक रुटे हैं।
47	इसमें वाद संख्या एवं माठ न्यायालय के आदेश का दिनांक अंकित किया जायेगा। उदाहरणार्थः माठ उच्च न्यायालय लखनऊ बैच, रिट याचिका संख्या: 3570(एस/एस)/2013, दिनांक 10-11-2013

सामान्य निर्देश :-

- 1- प्रत्येक कालम को स्पष्ट रूप से भरा जायेगा यदि किसी कालम में कोई सूचना अंकित नहीं की जानी है तो उस कालम में स्पष्ट रूप से शून्य अंकित किया जाय।
- 2- उक्त सूचना A3 पेज पर Landscape में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में Kruti Dev 010 फार्म में ही तयार की जाय।
- 3- एक लाइन में एक ही अभ्यर्थी की सूचना अंकित की जाये। Lines/cells को merge न किया जाय।
- 4- एक ही cell में नई लाइन में लिखने हेतु Alt+Enter का प्रयोग किया जाय।
- 5- अपूर्ण प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्या-टीजी-परिपत्र- ५९ / २०१३

दिनांक : लखनऊ : काशी २९, २०१३

सेवा में

- १-समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स, उत्तर प्रदेश।
- २-समस्त पुलिस उच्चमहानिरीक्षक परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश
- ३-समस्त जनपदीय चरित्र पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/शाखा/इकाई प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

कानूनानुसार से होड़ कानूनानुसार के पद पर चरित्र को आधार पर प्रदान किये जाने के संबंध में वर्ष १९९७ तक नहीं पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं/ सेवा अभिलेखों को द्वितीय उपलब्ध कराये जाने के संबंध में

झातव्य है कि आरक्षी से मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चरित्र को आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए, प्रोन्ति प्रदान किये जाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराया जाना है। उपरोक्तानुसार चरित्र के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुए प्रदान किये जाने के संबंध में सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का अद्यावधिक होना अपरिहार्य है। अपूर्ण तथा त्रुटिहर्ष सूचनाओं के परिणामस्वरूप इस बत की चरित्र पंजिकाओं की सम्बन्धित आवश्यकता है कि उन्होंने एवं प्रोन्ति बोई द्वारा कुछ कर्मियों के संबंध में प्रोन्ति प्रदान किये जाने पर विचार सम्पादन रहती है कि उन्होंने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्ति बोई कुछ कर्मियों के संबंध में उच्चन समिति की संस्कृति बन्द लिफाफे में अकाउण रखी नहीं किया। जो सकता अथवा कुछ कर्मियों की पदोन्ति के संबंध में उच्चन समिति की संस्कृति बन्द लिफाफे में अकाउण रखी नहीं किया। आप सभी सहमत होंगे कि यदि प्रोन्ति के पात्र होते हुये भी किसी कर्मी को प्रोन्ति नहीं मिलती है अथवा विताय से निलती है तो इससे उसके मनोबल पर विपरीत प्रमाण पड़ता है।

२- उपरोक्त तथ्यों के द्विटिगत वर्तमान में आरक्षी से मुख्य आरक्षी के पदों पर प्रोन्ति प्रक्रिया के द्वितीय निष्पादन के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि सभी सम्बन्धित पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं का गहनता से पुनरीक्षण करते हुए यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं की सभी प्रविष्ट अद्यावधिक कर दी गई हैं तथा साथ ही सामिनल रोल सिस्टम में भी सभी प्रविष्टियों की गई हैं।

३- अत आपको निर्दिशित किया जाता है कि जनपद/ इकाई तत्त्व पर अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर दिया जाये तथा उसमें प्रधान लिपिक एवं राम्रनिधित चरित्र पंजिका लिपिक तथा अन्य उपयुक्त कम्यूनिकेशन कार्य के दस्त कर्मचारियों को नियुक्त कर नियन्त्रता सभी दिनुओं पर वाचित अद्यावधिक सूचनाएं प्राप्तिकरण के आधार पर चरित्र पंजिकाओं में तथा नामिनल रोल सिस्टम में अंकित कराना सुनिश्चित करें:-

वार्षिक मन्तव्य-

- १- कर्मियों के सेवा अभिलेखों में सम्पूर्ण सेवाकाल के वार्षिक मन्तव्यों की प्रविष्टि करना।
- २- कर्मियों के प्रतिकल मन्तव्य अंकित किये जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का लेलेख चारित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अपिन कार्यालय पूर्ण कराये यदि इस सम्बंध में मात्र न्यायालय या मात्र अधिकरण द्वारा कोई खण्डनादेश पंजिका में कर्मस्पा की जाय

DHQ AID
2021-22
अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका में करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र

3—कर्मियों के वार्षिक मनतब्दों के कृतिपय कारणों से समय से अंकित न होने की दशा में सामान्य होने की 'मोहर लगाकर प्रेषित किया जाता है जो उपरोक्त पुलिस भर्ती एवं ब्रोन्टि थोर्ड द्वारा मान्य नहीं है। अतः इस प्रकार सामान्य की 'मोहर लगाकर चरित्र पंजिका' नहीं प्रेषित किया जाये।

4—कर्मियों के वार्षिक मनतब्द न लिखे होने की दशा में शासनादेश संख्या: 36/8/1976—कर्मिक-2 दिनांक 30 अप्रैल, 1991 के अनुसार ब्लैक की 'मोहर लगाकर वार्षिक मनतब्द प्रेषित किये जाते हैं। दो वर्ष से अधिक वर्षों में ब्लैक की मोहर लगाकर करना नहीं मान्य होगा। अतः दो वर्षों से ज्यादा में ब्लैक की मोहर न लगाई जाय।

5—यदि अपरिहार्य कारणों से किसी वर्ष के वार्षिक मनतब्द न लिखा जा पा रहा तो उस वर्ष के सम्बन्ध में निम्न 07 बिन्दुओं पर सूचना घरित्र पंजिका में अंकित किया जाये:-

(1) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मी की सेवा की निरन्तरता का प्रमाण पत्र। इस सम्बन्ध में यह प्रमाणित करना है कि उपरोक्त वर्षों में यह निरन्तर सेवा में रहे हैं या सेवा से विरत अथवा गैरहाजिर हो नहीं रहे हैं।

(2) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मियों को कोई प्रतिकूल तथ्य सत्यानिष्ठा निलम्बन एवं 14(1), 14(2) के अन्तर्गत कोई दण्ड मिला हो या मिले हो तो उनका विवरण तथा जिस घटना के सम्बन्ध में दण्ड मिला हो तो उस घटना को दिनांक जैसे—किसी कर्मी को 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला हो तो वोनो दिनांक अंकित करते हुये यह स्पष्ट किया जाये कि वर्ष 2005 की घटना के लिये वर्ष-2008 में दण्ड मिला है।

(3) उपरोक्त वर्षों में उक्त कर्मी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत हो नहीं हुआ है। यदि पंजीकृत हुआ है तो उस मुकदमे की उभी वर्तमान में क्या रिस्ति है (यदि यह विवेचनाधीन है, वया अन्तिम रिपोर्ट लाई है? यदि इसमें आरोप पत्र निर्गत होकर माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है या सजा की गई है) स्पष्ट लप से अंकित करें तथा ना० न्यायालय द्वारा पारित आदेश अथवा निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति भी प्राप्त कर चरित्र पंजिका में चर्चा की जाय।

सत्यानिष्ठा-

कर्मियों की सत्यानिष्ठा रोके जाने का नोटिस निर्गत करने की तिथि का उल्लेख चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय तथा यदि नोटिस न दिया गया हो तो तत्काल नोटिस निर्गत कर अप्रिय कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि इस सम्बन्ध में ना० न्यायालय या मा० अधिकरण द्वारा कोई स्थगनादेश अथवा निर्णय दिया गया हो तो उसका अंकन चरित्र पंजिका करते हुए इसकी प्रमाणित प्रति चरित्र पंजिका में चर्चा की जाय।

दण्ड, अपील एवं रिवीजन -

1—कर्मियों को 14(1) अथवा 14(2) के अन्तर्गत प्रदत्त दण्ड का उद्धरण चरित्र पंजिका में अंकित करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि जिस घटना के संबंध में दण्ड प्रदान किया गया है उसके घटित होने की तिथि अथवा अवधि उद्धरण ने अवश्य अंकित हो।

2—कर्मियों को दिये गये दण्ड के विरुद्ध योजित अपील तथा रिवीजन में पारित निर्णय अथवा उनके विवारणीन होने का एष्ट अंकन किया जाये। यदि अपील अथवा रिवीजन में पारित आदेश के कारण दण्ड विलोपित किया जाता है तो उसको राजपत्रित अधिकारी द्वारा अवश्य प्रमाणित किया गया हो।

3—कर्मियों को प्रदत्त दण्ड के विरुद्ध यदि मा० लोक सेवा अधिकरण अथवा ना० न्यायालय द्वारा दण्ड के संबंध में पारित स्थगनादेश अथवा निर्णय का स्पष्ट उल्लेख उपर्योगी चरित्र पंजिका में किया जाय तथा आदेश की प्रति चरित्र पंजिका में चर्चा की जाय।

सतरा
मद्दौह

ताथर

लहार

फौली

निलम्बन-

1-कर्मियों के निलम्बन व उनके निस्तारण का स्पष्ट उल्लेख चरित्र पंजिका में किया जाये।
 2-कोई कर्मियों की चरित्र पंजिकाओं में उनके विरुद्ध आपराधिक अभियोग पंजीकृत होने के कारण निलम्बित किया जाना अंकित किया जाता है परन्तु उक्त अभियोग के सम्बन्ध में अन्य कोई विवरण चरित्र पंजिका में उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि यदि कोई कर्मी अभियोग पंजीकृत होने के कारण वर्तमान में अथवा पूर्व में निलम्बित किया गया है तो चरित्र पंजिका के किसी खाली पृष्ठ पर उस अभियोग के सम्बन्ध में अद्यावधिक सूचना अवश्य अंकित की जाय और चरित्र पंजिका में निलम्बन के विवरण के सम्मुख अभियोग की अद्यावधिक सूचना से सम्बन्धित पृष्ठ संख्या को अंकित कर दिया जाय।

अपराध-

कर्मियों के सेवा अभिलेखों में उनके विरुद्ध पंजीकृत सभी अभियोगों का स्पष्ट अंकन किया जाय। विशेष रूप से यह स्पष्ट किया जाये कि क्या पंजीकृत अभियोग में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है अथवा नहीं, यदि आरोप पत्र प्रेषित है तो आरोप पत्र प्रेषित करने की तिथि तथा आरोप पत्र संख्या को चरित्र पंजिका में अंकित किया जाय। यदि अनित्य रिपोर्ट प्रेषित की गई है तो उसकी संख्या तथा दिनांक एवं मात्र न्यायालय द्वारा स्वीकृत करने की तिथि तथा उस आदेश की प्रमाणित छायाचित चरित्र पंजिका में अंकित और दस्ता की जाय। मात्र न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में यदि कोई कर्मी दोषमुक्त किया गया हो तो उस आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका में संलग्न की जाये व उसका स्पष्ट अंकन चरित्र पंजिका में किया जाये। यदि मात्र न्यायालय में विचाराधीन अभियोग में कोई कर्मी को दोष सिद्ध किया गया हो तो उसका भी स्पष्ट अंकन किया जाय तथा मात्र न्यायालय की आदेश की प्रमाणित प्रति भी चरित्र पंजिका में दस्ता कर दी जाय। सम्प्रति कर्मियों को विरुद्ध सभी अभियोगों की अद्यतन स्थिति चरित्र पंजिका में अंकित की जाये जिससे कर्मियों के सम्बन्ध में घटन समिति द्वारा सही निर्णय लिया जा सके।

4- ऐसे कर्मियों की सूची तैयार कर तो जिनकी चरित्र पंजिका जनपद में ग्राप्त नहीं है अथवा खो गई है और डुल्सीकेट चरित्र पंजिका तैयार की जा रही है या डुल्सीकेट चरित्र पंजिका तैयार की गई हो। इस कम में सुनिश्चित कर लिया जाय कि डुल्सीकेट चरित्र पंजिका में सम्बन्धित कर्मी के वर्ष 1990 से अब तक के सभी वार्षिक मन्तव्य, दीर्घ, लघु अथवा छुद शब्दों सहित अपराध, निलम्बन तथा सेवा की निरतता का उल्लेख कर दिया गया है। दण्डों के सम्बन्ध में कोई गई अपील कथा रिवेजन की अद्यावधिक रिपति भी स्पष्ट की जाय। इच्छाकार्यका अनुश्रवण प्रतिदिन जनपदीय/इकाई प्रभारी द्वारा केया जाय तथा समस्त अपेक्षित कार्यवाही 15 सितम्बर, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कर्मियों की प्रोन्नतियों के लिए होने वाले चुनावों में बन्द लिफाफे की गार्यवाही विषयक शासनादेश संख्या-13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में निहित प्राविधिकों के तारीफ निम्नलिखित परिवर्थितों की रूपान्तर सूचना उप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र-3 में अंकित किया गया:-

- 1- यदि कर्मिक निलम्बित घल रहा है
- 2- यदि कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है।
- 3-यदि आपराधिक आरोप पत्र कार्मिक के विरुद्ध अभियोग की कार्यवाही लम्बित है अर्थात् न्यायालय में अभियोगन हेतु आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

विदित हो कि अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिकाएं अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण होने के कारण नहीं प्रक्रिया बढ़ित होती है। अतः समस्त को निर्देशित किया जाता है कि उसके विन्दुओं को ध्यान में रखते हुये 1970 से भर्ती वर्ष तक के आरक्षियों की चरित्र पंजिकाएं पूर्ण करा ली जाय तथा उप्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र-3 में अति सावधानीपूर्वक समस्त सद्व्यवहारों की विवरण लिये जायें।

स्व
02-
एवं
लेख
प्रलब्ध
0 मुहिल
2015 ;

नियु
जन
इका
सहार

संतरेव
(भद्रोही)

हाथरस

सहारनपुर

पीलीभीत

जालीन

लूप से पूर्ण कराये जाने का व्यक्तिगत दायित्व जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक व इकाई/शाखा प्रभारी के साथ-साथ अपर पुलिस अधीक्षक, प्रभारी कार्यालय का होगा तथा इसमें किसी प्रकार की त्रुटि प्रकाश में आने पर संबंधित जनपद/इकाई के अपर पुलिस अधीक्षक प्रभारी कार्यालय के बिल्ड कठोर कार्यवाही की जायेगी। समस्त विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिरीक्षक जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र अपने अधीनस्थ जनपदों/इकाईयों में इस कार्य की प्रगति को प्रत्येक सप्ताह अनुश्रवण करेंगे और इसको 30 सितम्बर 2013 तक प्रत्येक दशा में पूर्ण करायेंगे।

(दिवराज मार्ग) 298/।

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि—कृपया निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही समयान्तरगत सुनिश्चित कराये
जाने हेतु प्रेषित है :-

- 1—पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण, खाद्य प्रकोष्ठ, आवास निगम, सहकारिता प्रकोष्ठ, रेलवे, मानवाधिकार, तकनीकी सेवाएँ, ३०३० पुलिस भर्ती एवं प्रौन्ति बोर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
- 2—अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, सेवीसीसीआईडी, यातायात, भ्रष्टाचार, विशेष जॉघ, पीसीएल, सरकारी, सुरक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 3—पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उत्तर प्रदेश।
- 4—पुलिस उपमहानिरीक्षक (त्थापना) ३०३० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।

२५/५/१
मार्ग
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश

स्वघोषणा—पत्र

मैं, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ) _____ पुत्र
 _____ निवासी _____ थाना _____ जनपद _____
 वर्तमान में (जनपद/इकाई) _____ नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण
 सत्र _____ का उपनिशिक्षक हूँ। मैं, प्रमाणित करता हूँ कि:-

- (1) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।
- (2) मेरे विरुद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई _____ में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक:_____ को आरोप—पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु0आ0सं0 _____ घारा _____ थाना _____
 जनपद _____ में लम्बित है, जिसमें दिनांक:_____ को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी _____ द्वारा आरोप—पत्र मा0 न्यायालय में प्रेपित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में _____ स्तर पर चल रहा है।

2— मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा—पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा—पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
 नाम/पदनाम/पीएनओ
 नियुक्ति स्थान—
 दिनांक:

प्रमाणित

जनपद/इकाई के प्रभारी
 नाम/पदनाम की मुहर

नोट—स्वघोषणा—पत्र के प्रस्तार—1 के उपप्रस्तार—(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।